

2018/00018

दिनांक
8/2/18

न्यायालय (राजस्व) लूनकरणसर, जिला बीकानेर

सरकार

बनाम श्री चोखाम 510 कडियाराय माल
61.55

किरम मुकदमा - आयसी.ए. 1054 की धारा 22

एल. आर. एक्ट 1958 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 10/18

वर्ष 2018

फसल खरीप

आदेश दिनांक कार्यवाही विवरण आदेश की जलियत

22/1/18

पटवारी हल्का 2310

की रिपोर्ट पर पत्रावली गुरतीव की गई। गुताविक रिपोर्ट अप्रार्थी ने

ग्राम/चक खसरा नं./मुं.नं. 170

तादादी 0.02 बी

राजकीय भूमि पर सम्बत 2017 में

नाजायज कब्जा कर कायम कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर हेतु निया जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

71/3/4/257

11
22/1/18

8/2/18

कमाली पेशदुर्ग। खसरा नं. 344 पर
275 नं. 1 पर पत्रावली के तहत न्यायालय की शक्ति
द्वारा किया गया। इस पर 275 का निर्णय
युक्त के लिखत न्याय शक्ति द्वारा
दिया गया।

Handwritten signature and notes in the right margin.

व्य. सी. एल. के फॉल
109 के इत 10 पर
मोग नाम की इत

12/4/18

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 10 / 2018

दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल पुत्र जाति साकिन ने ग्राम के खसरा नं० 170 रकबा 0.02 बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में कास्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का राभूरा अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिराल किया गया। संबधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बंधित गैर सायल पुत्र श्री जाति साकिन ग्राम खसरा नं० 170 रकबा 0.02 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व का 50 गुणा रूपये शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर